06/10/2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। पत्रावली मे बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी मे वादी का नाम रामोतारसिंह पुत्र मगनसिंह दर्ज रिकार्ड है जो गलत है, वादी का सही नाम जयसिंह पुत्र मगनसिंह है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार वादी का बोलता नाम रामोतारसिंह पुत्र मगनसिंह गलत दर्ज कर दिया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, पेंशन प्रमाण पत्र की प्रतियां पेश की जिनमें वादी का सही नाम जयसिंह पुत्र मगनसिंह दर्ज है। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य सरपंच ग्राम पंचायत महावा का प्रमाण पत्र तथा बतौर गवाह सहखातेदार प्रभुसिंह पुत्र पीथसिंह, नानूसिंह पुत्र अमरसिंह का लिखित एवं तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम रामोतारसिंह पुत्र मगनसिंह अंकित है। वादी का कथन कि वादी का सही दस्तावेजी नाम जयसिंह पुत्र मगनसिंह है की पुष्टि आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, पेंशन प्रमाण पत्र व बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये गये गवाह सहखातेदार प्रभुसिंह पुत्र पीथसिंह, नानूसिंह पुत्र अमरसिंह के लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत महावा के प्रमाण पत्र से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेज से वादपत्र वादी साबित है।

(बृजेश कु[illegible])
उपखण्ड अधि[illegible]
[illegible]

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम महावा पटवार हल्का महावा स्थित भूमि खाता सं0 104, राजस्व ग्राम भराला पटवार हल्का महावा स्थित भूमि खाता सं0 23, 103, 111, 105, राजस्व ग्राम बणियाला पटवार हल्का महावा स्थित भूमि खाता 119 में दर्ज खातेदार **रामोतारसिंह पुत्र मगनसिंह** के स्थान पर **जयसिंह पुत्र मगनसिंह** दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:46:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner